# बिहार सरकार
# ग्रामीण कार्य विभाग

---

## आदेश

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक 18.11.2020 को 11 बजे पूर्वाह्न से 02 बजे अपराह्न तक जी0टी0एस0एन0वाई0 की प्रगति की समीक्षा हेतु सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। उक्त महत्वर्पूण समीक्षात्मक बैठक से बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के अनुपस्थित पाये जाने के आरोप के लिए विभागीय पत्रांक–1751 दिनांक–18.11.2020 द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिकहरना(ढ़ाका)/गोपालगंज–1/गोपालगंज–2 का वेतन माह नवम्वर 2020 से अगले आदेश तक स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

उक्त के आलोक में श्री रामचन्द्र पासवान, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिकहरना (ढ़ाका) के पत्रांक 1662 दिनांक 18.11.2020 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया कि वयोवृद्ध पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो जाने की प्राप्त सूचना के कारण अचानक अपने मुख्यालय से दिनांक 11.11.2020 को प्रस्थान करना पड़ा जिसके आलोक में आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति तथा मुख्यालय से बाहर के लिए प्रस्थान करने की अनुमति संबंधी पत्र पत्रांक 1651 ढ़ाका दिनांक 11.11.2020 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी को समर्पित किया गया।

श्री अजय कुमार तिवारी, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज–1 के पत्रांक 1545 दिनांक 19.11.2020 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया कि 18.11.2020 को आयोजित Video Conferencing समय के पूर्व Virtigo के कारण सर में चक्कर तथा उसके साथ उल्टी शुरू होने के कारण उक्त बैठक में उपस्थित नहीं हो सका। सहायक अभियंताओं के छूटी/या कार्यक्षेत्र में रहने के कारण समय पर Video Conferencing में भेजा नहीं जा सका।

श्री ललन प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज–2 के पत्रांक 1904 दिनांक 25.11.2020 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया कि दिनांक 18.11.2020 को उनके लड़का का तबियत खराब हो जाने के कारण डॉक्टर से परामर्श लेने में समय लग गया था, फलतः ससमय विडिया कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित नहीं हो सका। परिस्थितिजन्य कारण से ससमय बैठक में शामिल नहीं हो सका जिसके लिए खेद है।

तीनों अभियंताओं से प्राप्त स्पष्टीकरण की विभागीय समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत तीनों अभियंताओं का स्पष्टीकरण संतोषप्रद पाया गया है। अतः उक्त के आलोक में तीनों अभियंताओं का वेतन भुगतान पर लगाये गये रोक को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

12.04.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

---

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

**ज्ञापांक** :— 3 / अ0प्र0—1—197 / 2020 689 / पटना, दिनांक :— 12-4-21

**प्रतिलिपि** :— जिला कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज / मोतिहारी / सिकहरना(ढ़ाका) / अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीवान / मोतिहारी / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिकहरना(ढ़ाका) / गोपालगंज—1 / गोपालगंज—2 / आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संबंधित कार्यपालक अभियंताओं के ई—मेल पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.04.21

उप सचिव